

यू. पी. फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और अन्य

बनाम

डी. वाई. आय कर आयुक्त, लखनऊ

27 नवंबर, 2007

[अशोक भान और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एसएस। 11 (1) (ए), 12 और 12 ए-मूल्यांकन आय-एस के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन। 12 एक पहले से लंबित है न्यायाधिकरण-एस के तहत छूट का दावा। 11 (1) (a) इस आधार पर कि निर्धारिती धर्मार्थ संस्था है-निर्धारण प्राधिकरण का मानना है कि यह धर्मार्थ संस्था नहीं है-इसके खिलाफ चुनौती-आयोजित: दावा करने के लिए एस के तहत लाभ। 11 (1) (क), एस के तहत पंजीकरण। 12 ए अनिवार्य है-निर्धारिती एस के तहत पंजीकृत नहीं है। 12 ए इसलिए एस के तहत छूट का हकदार नहीं है।

11 (1) (क)-न्यायाधिकरण जिसके समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन लंबित है। मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेना और उस पर तेजी से निर्णय लेना। मुख्य के संबंध में मामले को रिमांड पर लेने का उच्च न्यायालय का आदेश पंजीकरण से संबंधित मामले तक मूल्यांकन स्थगित रहेगा। अंततः न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है। तत्काल अपीलों में, विचार के लिए प्रश्न था: क्या निर्धारिती-यू. पी. वन निगम लाभान्वित होने का हकदार था एस के तहत छूट। 11 (1) (क) आयकर अधिनियम,

1961 का, जो स्वयं का दावा करता है। एक धर्मार्थ संस्था के रूप में निर्धारिती की अपीलों को खारिज करना-निगम के साथ-साथ राजस्व, न्यायालय

पकड़ना: 1.1. एस के तहत लाभ का दावा करने के लिए। 11 (1) (a) आय का उद्देश्य। एस. 12 एक स्पष्टीकरण की प्रकृति में है। 11. एस. 12 ए प्रदान करता है एस. एस. के वे प्रावधान। 11 और 12 की आय के संबंध में लागू नहीं होगा कोई न्यास या संस्था जब तक कि कुछ शर्तें पूरी न हो जाएं। जब तक कि एस के लाभ का दावा करें। 11 (1) (क) अधिनियम। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी-निगम को एस के तहत पंजीकरण नहीं दिया गया है। 12 ए.

अधिनियम के तहत, यह कर के भुगतान से छूट का दावा करने का हकदार नहीं है एसएस। 11 (1) (क) और अधिनियम की धारा 12। [पारस 11 और 12] [606-बी, सी; 607-ए, बी][1998] 3 एस. सी. सी. 530 और वालजीभाई मुलजीभाई सोनेजी बनाम। बम्बई राज्य (अब गुजरात), [1964] 3 एस. सी. आर. 686, संदर्भित।

1.2. तथापि, निर्धारिती के हितों की रक्षा के लिए साथ ही राजस्व, वह न्यायाधिकरण जिसके समक्ष अपीलें लंबित हैं आवेदन को अस्वीकार करने वाले आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एस के तहत दायर किया गया। 12 अधिनियम का ए, इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाएगा और जल्द से जल्द ऐसा ही करने का फैसला करें। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किसी भी निष्कर्ष से प्रभावित विवादित आदेश। तब तक, उच्च

न्यायालय का रिमांड का आदेश मुख्य निर्धारण के संबंध में मामला स्थगन में रहेगा। में यदि मामला अंततः निर्धारिती के पक्ष में तय हो जाता है-निगम, इन पर निर्णय लेने के लिए इन अपीलों को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता होगी। निर्धारिती, राजस्व द्वारा दायर अपीलों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा योग्यता पर निर्णय के लिए स्वचालित रूप से। सभी प्रश्न खुले रहते हैं। [पैरा 14,15 और 16] [607-डी, ई, एफ, जी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9432/2003.

उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 26.11.2002 से 2000 की आयकर अपील संख्या 3 में इलाहाबाद का न्यायिक न्यायालय के साथ सी. ए. सं. 9433, 9435-9437 2003 का और 2007 का 5552। अनिल दीवान, ए. के. गांगुली और सुनील गुप्ता, जतिन झवेरी, प्रान्तप कालरा, आर. बी. शुक्ला, रणवीर, रचना श्रीवास्तव और नूरुल्ला याचिकाकर्ता।

मोहन परासरन, ए. एस. जी., डॉ. आर. जी. पाडिया और आर. के. शुक्ला, के. के. सेंथिवेलन और अंजनी अय्यगारी (बी. वी. बलराम दास के लिए)

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भान, जे. 1. एस. एल. पी. में छुट्टी दी गई। (ग) सं. 7476/2006

2. उत्तर प्रदेश वन निगम (संक्षेप में, 'निगम'),

अपीलार्थी नं. 1 सिविल अपील सं। 9432 ; 9333 ; 9435 और 2003 का 9436,

यू. पी. वन की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गठित किया गया था निगम अधिनियम, 1974। वर्ष 1977 में आय-कर प्राधिकरणों ने निगम को अपनी आय की विवरणी दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारण वर्ष 1976-77 (संक्षेप में, एक्ट ')। निगम ने रिट याचिका दायर करके उक्त नोटिस को चुनौती दी 1977 का सं. 1568 जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित करके निपटाया गया था। कि निगम धारा 10 (20) के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण था अधिनियम बनाया और छूट का दावा करने का हकदार था। चूंकि उक्त आदेश नहीं था राजस्व द्वारा चुनौती दी गई, वही अंतिम हो गया और लागू रहा जब तक इस न्यायालय द्वारा मूल्यांकन वर्षों के संबंध में एक विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया गया था 1977-78, 1980-81 और आय आयुक्त के मामले में 1984-85

3. आकलन वर्ष 1977-78 के लिए निगम की आय थी आय में कुछ वृद्धि करके और कुछ कटौती को हटाकर आय की वापसी में दावा किया गया। एक याचिका दायर करने पर, आयुक्त (अपील) ने बरकरार रखा कि निगम को इससे छूट दी गई थी इस आधार पर कर का भुगतान करना कि यह अर्थ के भीतर एक 'स्थानीय प्राधिकरण' था आयुक्त ने उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया। आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप

में 'न्यायाधिकरण') ने उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया आयुक्त (अपील) ने अभिनिर्धारित किया कि निगम 'स्थानीय' नहीं था प्राधिकरण 'और आयुक्त (अपील) के लिए अपीलों को भेज दिया संबंधित राहत अनुदान के मुद्दे पर गुण-दोष पर पुनः सुनवाई जोड़/कटौती।

4. चूंकि निगम का मूल्यांकन भी मूल्यांकन वर्ष के लिए किया गया था 1984-85 जैसा कि मूल्यांकन वर्ष 1977-78 के लिए मूल्यांकन किया गया था, निगम ने उच्च न्यायालय से पहले 1987 की रिट याचिका संख्या 4424 को प्राथमिकता दी। इलाहाबाद न्यायालय जिसे स्वीकार कर लिया गया और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से दिनांक 19 मई 1988 को घोषित किया गया कि निगम एक 'स्थानीय' है। प्राधिकरण 'और अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत छूट का हकदार था। इसने यह भी माना कि यह धारा 11 (1) (ए) के तहत छूट का हकदार था।

अधिनियम एक धर्मार्थ संस्था है।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग ने विशेष फाइल करने का फैसला किया इस न्यायालय के समक्ष अनुमति याचिका जिसमें अनुमति दी गई थी और अंततः अपील स्वीकार कर ली गई और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश था एक तरफ रख दें। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'स्थानीय प्राधिकरण' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया था आयकर अधिनियम के तहत। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (31) 1897 उक्त अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जो पहले विचार के लिए आई थी वालजीभाई मुलजीभाई सोनेजी बनाम के मामले में यह न्यायालय। बम्बई

राज्य, (अब गुजरात) [1964] 3 एस. सी. आर. 686 जिसमें यह माना गया था कि परिभाषाएँ

सामान्य खंड अधिनियम में दिए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों को नियंत्रित करता है इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया। उक्त निर्णय के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही यू. पी. वन की धारा 3 (3)

निगम अधिनियम निगम को स्थानीय प्राधिकरण मानता है लेकिन अधिनियम के प्रयोजन के लिए, यह कानून में, अधिनियम की धारा 10 (20) के प्रयोजनों के लिए निगम को एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं बनाएगा। जिस पर सवाल यह है कि क्या निगम को धारा के तहत खुद को पंजीकृत करना था 12 अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम का ए दावा छूट का अधिनियम एक धर्मार्थ संस्था होने के नाते, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब से यह सवाल नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी के सामने नहीं उठाया गया था, उच्च न्यायालय को मामले को मूल्यांकन करने वाले को वापस भेज देना चाहिए था। निर्णय के लिए प्राधिकरण या सी. ई. जी. ए. टी.। यह न्यायालय, विशिष्ट तथ्यों के तहत और मामले की परिस्थितियों, निर्धारण प्राधिकरण को विचार करने का निर्देश दिया अपीलार्थी का दावा-निगम के रूप में क्या अपीलार्थी था धारा 11 (1) (ए) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं एक धर्मार्थ संस्था के रूप में कार्य करें।

6. इस बीच, डब्ल्यू. पी. में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 1987 का सं. 4424, आयुक्त (अपील) ने निर्धारण वर्ष 1977-78 और 1980-81 यू. पी. फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन v. के संबंध में निगम की अपीलों को अनुमति दी। धारा 10 (20) और धारा 11 (1) (ए) के तहत छूट की अनुमति देना।

एक्ट करें।

7. अपीलार्थी-निगम ने 11 जुलाई 1988 को एक प्रस्ताव पेश किया के तहत पंजीकृत होने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन अधिनियम की धारा 12 ए जिसे नौ साल के अंतराल के बाद खारिज कर दिया गया था 18 मार्च 1997।

8. उक्त अस्वीकृति के खिलाफ निगम ने रिट याचिका सं. 173 उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 का, जिसके लंबित रहने के दौरान निगम ने 04 मई 1998 को इस उद्देश्य के लिए एक और आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और के आदेश को रद्द कर दिया निगम के आवेदन को अस्वीकार करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस आधार पर पंजीकरण कि आयुक्त ने एक आदेश पारित किया था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन जैसे कि अपीलार्थी निगम को सुनवाई और निर्देश का अवसर नहीं दिया गया था आयुक्त निगम के 11 तारीख के आवेदन पर फिर से निर्णय लेगा सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण के लिए जुलाई 1988 निगम। आयुक्त ने निगम के खिलाफ फैसला किया जो न्यायाधिकरण के समक्ष निगम द्वारा दायर अपील का आदेश देता है लखनऊ पर फैसला आना बाकी है।

9. के मामले में इस अदालत द्वारा मामले को रिमांड पर लेने के बाद आय-कर आयुक्त, लखनऊ बनाम। यू. पी. वन निगम धर्मार्थ संस्था और मूल्यांकन के संबंध में आय का मूल्यांकन वर्ष 1977-78, 1980-81 और 1984-85 कर के लिए। आयुक्त (अपील)

अपीलार्थी की अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई-निगम ने कुछ राहत प्रदान की जोड़/कटौती के मुद्दों पर। अपीलार्थी-निगम और साथ ही

राजस्व ने उक्त आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। द.न्यायाधिकरण ने राजस्व द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और राहत को खारिज कर दिया निगम को परिवर्धन/कटौती के मुद्दे पर प्रदान किया गया इस आधार पर कि इस न्यायालय ने मामले को केवल एक मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्थगित कर दिया था।

10. व्यथित होने के कारण निगम ने धारा के तहत अपील दायर की

260 उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम का ए। दिनांकित आक्षेपित आदेश द्वारा 26 नवंबर 2002 में, उच्च न्यायालय ने मामले को 606 को भेज दिया है। मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायाधिकरण। उक्त आदेश से व्यथित, निगम उपरोक्त अपील दायर करके हमारे समक्ष अपील कर रहा है। राजस्व ने इसके खिलाफ 2003 की सिविल अपील संख्या 9437 भी दायर की है। विवादित आदेश। राजस्व ने बाद के आदेश को भी चुनौती दी है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसमें उपरोक्त प्रश्न

नहीं किया गया है उपर्युक्त अपीलों की लंबितता को देखते हुए निर्णय लिया गया।

11. हमारा विचार है कि लाभ का दावा करने के लिए धारा 11 (1) (ए), धारा 12 ए के तहत पंजीकरण एक पूर्ववर्ती शर्त है। धारा 11 आय की छूट प्रदान करती है जिसके लिए आवेदन किया जाता है धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए। धारा 12 धारा के स्पष्टीकरण की प्रकृति में है।

11. धारा 12 ए में प्रावधान है कि धारा 11 और 12 के प्रावधान नहीं होंगे किसी न्यास या संस्था की आय के संबंध में तब तक आवेदन करें जब तक कि कुछ निश्चित न हो। शर्तों को पूरा किया जाता है, जिनमें से एक खंड (ए) है, उसी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है

निम्नानुसार:

12 ए. धारा 11 और धारा 12 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

किसी न्यास या संस्था की आय के संबंध में जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात्:

(क) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने आवेदन किया है। न्यास या संस्था के निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण के लिए और मुख्य आयुक्त को निर्धारित तरीके से या 1 जुलाई 1973 से पहले या समाप्ति से पहले आयुक्त न्यास के निर्माण की तारीख से एक वर्ष की अवधि या संस्था की स्थापना, जो भी बाद में हो:

बशर्ते कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त, अपने विवेक से किसी भी न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करें। या संस्था की अवधि समाप्त होने के बाद;

12. धारा 12 ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आयकर नियम, 1962 के नियम 17-ए द्वारा निर्धारित प्रपत्र 10 ए में न्यास के निर्माण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले या संस्थान की स्थापना, जो भी बाद में हो। ऐसा ही होना चाहिए। न्यास की आय की प्राप्ति में व्यक्ति द्वारा किया गया। धारा के खंड (ए) के परंतुक के तहत आयुक्त या आयुक्त 12 ए को आवेदन स्वीकार करने का विवेकाधिकार दिया गया है निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पंजीकरण। एक संयुक्त पठन

धारा 11,12 और 12 ए यह स्पष्ट करती है कि धारा के तहत पंजीकरण 12 अधिनियम से। जब तक कोई संस्था धारा के तहत पंजीकृत नहीं है 12 अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता-निगम को कोई लाभ नहीं है अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है, हम मानते हैं कि अपीलार्थी कर के भुगतान से छूट का दावा करने का हकदार नहीं है अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) और 12।

13. हम, तदनुसार, निगम द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हैं। विवाद के गुण-दोष पर निर्णय लिए बिना।

14. इन अपीलों को खारिज करने के मद्देनजर, द्वारा दायर अपीलों

राजस्व भी खारिज कर दिया जाता है। तथापि, निर्धारिती के साथ-साथ राजस्व के हितों की रक्षा करने के लिए, हम न्यायाधिकरण को पहले निर्देश देते हैं जिनके द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलें लंबित हैं आयुक्त ने अधिनियम की धारा 12 ए के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया, मामले को प्राथमिकता के आधार पर उठाना और उसी के रूप में निर्णय लेना किसी भी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना जितनी जल्दी हो सके उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में अभिलिखित।

15. हम यह स्पष्ट करते हैं कि मामले का अंत में फैसला हो जाने की स्थिति में

निर्धारिती के पक्ष में, निर्धारिती, अर्थात् , निगम होगा योग्यता पर निर्णय लेने के लिए इन अपीलों को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार,

यदि इन अपीलों को निर्धारिती के कहने पर फिर से खोला जाता है, तो राजस्व द्वारा दायर अपीलें भी गुण-दोष पर निर्णय के लिए स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगी। सभी प्रश्न खुले रहते हैं।

16. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय का रिमांड का आदेश मुख्य निर्धारण के संबंध में मामला तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि पंजीकरण से संबंधित मामले का निर्णय अंततः न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है।

17. नहीं. लागतें।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनिका पुरोहित आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।